न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 80/19 निर्णय दिनांक :– 28.2.20

उनवान

1. निशा देवी पुत्री स्व0 बंशी पत्नि श्री सीताराम शर्मा जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम खेडामुकन्दपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर हाल निवासी खातियों का वास, अनोपपुरा नुपुरा, जयपुर, राजस्थान।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

वादिया को ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से पेश किया गया है।

वाके ग्राम खेडामुकन्दपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में आराजी खाता संख्या 69 में खसरा नम्बर 129 रकबा 0.06 है0, एवं खाता संख्या 71 में खसरा नम्बर 188/2, 189 से 191, 196 से 197, 200 से 203, 207, 209 से 212, 214 से 215 कुल

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

किता 17 कुल रकबा 2.05 है0 व खाता संख्या 115 में 198 रकबा 0.10 है0 खाता संख्या 76 में खसरा नम्बर 101, 308, 309, 430 कुल रकबा 0.78 है0 जिसमें वादिया का हिस्सा राजस्व रिकार्ड के अनुसार अंकित व स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी पूर्व में वादिया के पिता स्व0 बंशी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। वादिया के पिता की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजी विरासत नामानतकरण जब वादिया व उसके भाई/बहिनों के नाम खुला तब गलती से वादिया, का नाम निशा की जगह बेबी कर दिया गया क्योकि वादिया निशा को बचपन में गॉव, घर में बेबी ही कहकर पुकारा जाता था जबकि बेबी व निशा दोनो ही नाम वादिया के –है। वादिया के तमाम दस्तावेजात निशा के नाम से है। वादिया के समस्त कागजात पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, शिक्षा संबंधी दस्तावेज (टी. सी.) इत्यादि निशा देवी के नाम से बने हुये है। उक्त नामान्तकरण में सहवन से निशां देवी. की जगंह बेबी कर दिया गया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार बेबी पुत्री बंशी तथा निशा पुत्री बंशी का नाम केवल वादिया का ही है वादियां को दोनो नामो से पुकारा जाता है वादिया के अलावा उक्त नाम की महिला ग्राम खेडामुकन्दपुरा में और कोई नहीं है वादिया का नाम निशा देवी की जगह बेबी नामान्तकरण तस्दीक करते वक्त राजस्व कर्मचारियो द्वारा कर दिया गया जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त दुरूस्ती के बिना वादिया अपनी जमीन पर मिलने वाले राजकीय लाभो, ऋणो. इत्यादि से वंचित है वादिया ने अपनी जमीन पर किसान केडिट कार्ड बनवाना चाहा लेकिन वादीया का नाम राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

रिकार्ड में बेबी होने के लआरश नहीं बना। वादिया ने तहसील कार्यालय चाकसू में नाम दुरूस्ती हेतु आवेदन किया तो तहसीलदार साहब चाकसू ने कहा कि सक्षम न्यायालय से दुरूस्ती आदेशं लाओ तब हम दुरूस्त कर पायेंगे। इसलिये वादिया को उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ। वाद कारण जब वादियां ने अपने नाम की आराजी भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये जमाबंदी निकलवायी तो गलत नाम होने का पता चला तथा तहसीलदार जी द्वारा समक्ष न्यायालय से आदेश लाने पर ही नाम दुरुस्त करने की बात कहने पर उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है।

(क) दावा वादिया बहक प्रतिवादी ड़िक्री किया जाकर वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णितं आराजी में वादिया का नाम बेबी को लोपित कर निशा देवी घोषित किया जावे तथा तहसीलदार जी को आदेशित किया जावे कि वादिया का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अमल बेबी की जगह निशा किया जाकर इन्द्राज दुरुस्त किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादिया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी पेदा नहीं करे।

दावा वकील वादी द्वारा प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गयी व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया कि :–

मद संख्या 1 मुताबिक राजस्व जमाबंदी ग्राम खेडामुकन्दपुरा सम्वत्त 2073–76 के खाता संख्या 77, 77, 125 व खाता संख्या 84 में दर्ज अंकन की हद तक स्वीकार है। मद मंख्या 2 के कम में यह है कि मद संख्या 1 में वर्णित खाता संख्या में

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वादिया का नाम बेबी पुत्री बंशी जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। शेष वादिया स्वंय सिद्ध करें। मद संख्या 3 वादिया स्वंय सिद्ध करें। मद संख्या 4 से 7 कानूनी है। मद संख्या 8(क) से ४(ग) माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी सुनी गयी तो दौराने बहस वादी वकील ने दावे का समर्थन करते हुये कथन किया वादिया का नाम मुताबिक दस्तावेज शुद्ध फरमाया जावे। वादिया ने दावे के समर्थन में ग्राम खेडामुकुन्दपुरा की जमाबंदी 2073–76 के खाता संख्या 77, 71, 125, 84 आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, राशनकार्ड, बैंक पास बुक, टी. सी. फार्म बतौर सबूत दस्तावेज पेश किये गये।

वकील वादी की बहस पर गौर किया व दावा, जवाब सरकार एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का परीक्षण किया गया तो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अतिरिक्त समस्त रिकार्ड आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, चुनाव पहचान पत्र राशन कार्ड बैंक पास बुक टी0सी0 फर्मा में प्रार्थिया का नाप ~~नक्सा~~ निशा अंकित है केवल राजस्व जमाबंदी में बेबी अंकित है उसे प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर वाके ग्राम खेडामुकुन्दपुरा तहसील चाकसू के खाता संख्या 69 खसरा नम्बर 129 रकबा 0.06 है0 खाता संख्या 71 खसरा नम्बर 188/2, 189, 190, 191, 196, 197, 200, 201, 202, 203, 207, 209, 210, 211, 212, 214, 215 किता 17 रकबा 2005 है0 व खाता संख्या 115

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

खसरा नम्बर 198 रकबा 0.10 है0 व खाता संख्या 76 के खसरा नम्बर 101, 308, 309, 430 किता 4 रकबा 0.78 है0, ये वादिया का नाम बेबी को लोपित किये जाकर निशादेवी घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मं अमल दरामद किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी की जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.05.22 15:37:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: